

आदेश की
गई कारवाही
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित।

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्यवाही

1

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर०एम०ए० वाद संख्या- 13/2019-20

मो० निजाम

-बनाम-

राज्य सरकार वगै०

-: आदेश :-

प्रस्तुत वाद अपीलार्थी की ओर से विज्ञ अधिवक्ता द्वारा म्यूटेशन वाद सं०- 11/18-19 मो निजाम -बनाम- कुमार मनोज प्रिय वगै० में दिनांक- 23.09.2019 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया। साथ ही विलम्ब से अपील स्वीकृति हेतु लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दाखिल किया गया।

अपील मेमो के आधार पर न्यायालय द्वारा पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया एवं न्यायालय ज्ञापांक- 17/डी०बी०, दिनांक- 03.03.2020 से मूल अभिलेख की मांग किया गया। नोटिस का तामिला प्राप्त। उभय पक्ष उपस्थित। अंगीकृत के बिन्दु पर सुनने के पश्चात संतुष्ट होकर अपील अंगीकृत किया गया तथा निम्न न्यायालय से पत्रांक- 40/भू०सू०, दिनांक- 03.07.2020 से मूल अभिलेख प्राप्त।

अपील आवेदन में दर्शाया गया है कि वर्तमान विवाद अंचल- राजमहल, मौजा- मालकशवा, जमाबंदी नं०- 90/149, दाग नं०- 720, रकबा- 00-01-16 धूर भूमि को लेकर उत्पन्न हुआ है। अंचल अधिकारी, राजमहल ने राजस्व कर्मचारी और अंचल निरीक्षक के रिपोर्ट पर उत्तरवादी के पक्ष में दिनांक- 20.02.2009 को आदेश पारित कर दिया जबकि सर्व प्रथम पक्षकारों एवं 16 आना रैयत को नोटिस निर्गत कर आपत्ति आमजन आमंत्रण मॉगना था। लेकिन अंचल अधिकारी, राजमहल के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। और शुद्धिपत्र भी जारी कर दिये।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी ने अंचल अधिकारी, राजमहल के द्वारा दिनांक- 20.02.2009 को नामांतरण वाद सं०- 1017/08-09 में पारित आदेश के विरुद्ध विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्ता, राजमहल के न्यायालय अपील वाद दायर कर दिये। जिसका नामांतरण अपील वाद सं०- 11/18-19 मो० नेजाम -बनाम- कुमार मनोज प्रिया मौजा- मालकसवा दायर कर दिये।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रश्नगत भूमि सकली कुरमीन के नाम से है जिन्हे एक पुत्री राधा देवी थी। दोनो की मृत्युपरांत उक्त भूमि राधा देवी की पुत्री रूकमनी देवी का पूर्ण निष्ठा के साथ तत्परता के साथ सेवा सुभुषा करने लगा। इसी कारण वश रूकमनी देवी ने अपीलार्थी के द्वारा कृत सेवा के कारण एक अनिबंधित केवाला के माध्यम से अपीलार्थी को सड़क किनारे से एक कमरा जो 18' लम्बा और 12' चौड़ा भूमि सहित मई 1978 को गुलाम नवी, मोहम्मद महसूद

आदेश की
क्रमांक एवं
तिथि

2

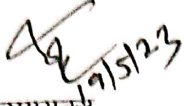
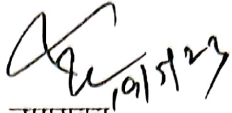
पक्षकारों
राजस्थान
यश

के समक्ष दान स्वरूप दखल दे दिये। उक्त कमरा में वर्ष 1978 से ही अपीलार्थी भोग दखल में रहकर तोसक तकिया और Pivow इत्यादि व्यापार करते आ रहे हैं। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अंचल कर्मचारी द्वारा स्थानीय जाँच नहीं किया गया बल्कि टेबूल रिपोर्ट समर्पित किया गया है। जबकि उत्तरवादी नाथनगर भागलपुर बिहार में रहते हैं। उक्त भूमि पर उनका कोई दखल अथवा दावा नहीं बनता है। इसलिए निम्न न्यायालय में विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्ता, राजमहल के द्वारा दिनांक- 23.09.2019 को पारित आदेश खारिज (Set-aside) करते हुए अपीलार्थी के पक्ष में आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि राजमहल थाना अन्तर्गत मौजा- मालकसवा थाना नं०- 86 खाता सं०- 90/149, दाग नं०- 720 रकवा 00-01-16 धूर भूमि खतियानी रैयत सकली कुर्मीन के नाम से खतियान में दर्ज है। सकली कुर्मीन को एक पुत्री राधा देवी थी। राधा देवी को दो पुत्री रुकमनी देवी एवं जानकी देवी थी। रुकमनी देवी की मृत्यु नावलद हो गयी। दूसरी ओर जानकी देवी को तीन पुत्र क्रमशः 1. कुमार मनोज प्रिया 2. कुमार विनोद प्रिया तथा 3. अमिता प्रिया हैं। जो उपरोक्त वर्णित भूमि पर वंशानुगत उत्तराधिकारी होने के नाते उत्तरवादीगण अपना स्वामित्व हेतु विवाद कर रहे हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा पुनः तर्क दिया गया कि अपीलार्थी का यह दावा गलत है कि उन्हें रुकमनी देवी द्वारा अनिबंधित केवाला के माध्यम से 18' चौड़ा 12' लम्बा भूमि दान-पत्र के माध्यम से दिया गया है। अनिबंधित केवाला मान्य नहीं है। रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 के अन्तर्गत दान-पत्र का निबंधन अनिवार्य है। अनिबंधित केवाला किसी भी परिस्थिति में ग्राह्य नहीं है। जबकि उत्तरवादी के पक्ष में नामांतरण की स्वीकृति नामांतरण वाद सं०- 1017/2008-2009 में दिनांक- 20.02.2009 को कुल रकवा 01 कट्टा 16 धूर भूमि का उसके शांति पूर्ण भोग दखल, कब्जा वो स्वत्व अधिकार के आधार पर किया गया है। जिसे अपीलार्थी 11 वर्षों बाद माननीय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, राजमहल के न्यायालय में चुनौती दिया गया इसलिए अपीलार्थी का अनिबंधित दान-पत्र विचार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि रुकमनी देवी मरणोपरांत उसका दाह संस्कार और श्राद्ध कर्म उत्तरवादीगण किये हैं। प्रश्नगत भूमि नगर पंचायत, राजमहल मुख्य बाजार स्टेशन चौक से आगे है। मुख्य सड़क पर दो मंजिला मकान है जिसमें नीचे दुकान है। उपर उत्तरवादीगण निवास करते हैं। नीचे की दुकान अपीलार्थी को भाड़ा पर दिया गया था। वर्तमान में उत्तरवादी को रोजगार के लिए दुकान की आवश्यकता है। इसलिए अपीलार्थी को दुकान खाली करने पर खाली नहीं करते हैं उत्तरवादी को भाड़ा देना बंद कर दिये हैं और दुकान बंद रखे हैं। इसलिए उत्तरवादी का लिखित बहस स्वीकार करते हुए अपीलार्थी का अपील खारिज करने तथा अपने पक्ष में आदेश पारित करने का अनुरोध उत्तरवादीगण द्वारा किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। निम्न न्यायालय का अभिलेख तथा उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि को लेकर

क्र. एवं	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
	3 पक्षकारों के बीच स्वामित्व अधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न है। जिसका निबटारा राजस्व न्यायालय में नहीं की जा सकती है। इसलिए निम्न न्यायालय का आदेश यथावत रख जाता है। स्वामित्व अधिकार के लिए पक्षकार समक्ष न्यायालय जाए। इसी आदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  उपायुक्त, साहेबगंज।  उपायुक्त, साहेबगंज।	सा/पा/व 29/10/20 19.02.24